उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ,नैनीताल

20 अक्टूबर, 2022

माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार तिवारी

रिट याचिका (एस/एस) संख्या : 543/2021

नवदीप कुमार .... याचिकाकर्ता

(याचिकाकर्ता की ओर से, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.के.चौहान,)

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ... प्रत्यर्थी

(उत्तराखंड राज्य की ओर से अतिरिक्त सी.एस.सी. श्री राकेश कुंवर, प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 की ओर से अधिवक्ता श्री विनय कुमार और प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री ललित सामंत)

<u>निर्णय</u>

इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष की मांग की है:

> *"I एक रिट आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को इस उद्देश्य से ज़ारी की जाती है, की वह याचिकाकर्ता को नियुक्ति दे जैसा की याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा नियुक्ति के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने और दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात अनुशंसित किया गया था।*
>
> *II. एक रिट आदेश या निर्देश उत्प्रेषण की प्रकृति में जिसके द्वारा उस सूचना को रद्द कर दिया गया जिससे याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को निरस्त किया गया। (अनुलग्नक संख्या 5)।*

2. तथ्य, जिन पर कोई विवाद नहीं है, निम्न प्रकार हैं:

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (प्रत्यर्थी संख्या 4) ने दिनांक 03.01.2017 को एक विज्ञापन जारी किया, जिसमें विभिन्न सरकारी निगमों/ उपक्रमों में समूह 'ग' के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त विज्ञापन द्वारा उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड में टेक्नीशियन ग्रेड-द्वितीय (इलेक्ट्रिकल) के पद पर 52 रिक्तियों का विज्ञापन भी निकाला गया था। याचिकाकर्ता के पास तकनीशियन ग्रेड -2 (इलेक्ट्रिकल) के रूप में नियुक्ति के लिए सभी अपेक्षित योग्यताएं थीं, इसलिए उन्होंने विज्ञापन के अनुसार आवेदन भी किया और उन्हें प्रत्यर्थी नंबर 4 द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी गई। याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में सफल घोषित किया गया था और उसके अनुसार, वह तकनीशियन ग्रेड -2 (इलेक्ट्रिकल) के पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों के बीच योग्यता के क्रम में, क्रम संख्या 4 पर था। याचिकाकर्ता, महाप्रबंधक कार्मिक और औद्योगिक संबंध, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा जारी किए गए एक पत्र द्वारा अपनी उम्मीदवारी के अस्वीकृत होने से व्यथित है। याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का एकमात्र कारण यह है कि विचाराधीन पद शारीरिक रूप से दिव्यांगजन (पीएच उप-श्रेणी) के लिए उल्लिखित नहीं है।

(a) निस्सन्देह, याचिकाकर्ता दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 (द) के अंतर्गत परिभाषित 'संदर्भित दिव्यांगजन' ('संदर्भित दिव्यांगता वाला व्यक्ति) है (इसके बाद '2016 का अधिनियम' के रूप में उल्लिखित)। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार, याचिकाकर्ता 50% की सीमा तक लोकोमोटर दिव्यांगता से पीड़ित है।

3. इस प्रकार, इस रिट याचिका में संक्षिप्त विचारनीय बिंदु यह है कि क्या 'संदर्भित दिव्यांगता वाले व्यक्ति, जिसे अपनी योग्यता के आधार पर अनारक्षित पद पर चुना गया, उसको इस

आधार पर नियुक्ति से वंचित किया जा सकता है, कि जिस पद के लिए उसे चुना गया है, वह 2016 के अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत उल्लिखित नही है। दूसरे शब्दों में, क्या कोई दिव्यांगजन व्यक्ति, जो आरक्षण के लाभ का दावा नहीं कर रहा है, उसको सरकारी स्थापन में किसी पद के पर नियुक्ति से केवल इसलिए वंचित किया जा सकता है कि उस पद को 2016 के अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत उल्लिखित नहीं है।

4. भारत ने "एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांगजनों की पूर्ण भागीदारी और समानता पर उद्घोषणा" पर हस्ताक्षर किए हैं। उपर्युक्त उद्घोषणा के अंतर्गत अपने दायित्व को पूरा करने के लिए, केंद्रीय संसद ने दिव्यांगजनो को समाज में एकीकृत करने और उनकी आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिव्यांगजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, (इसके बाद '1995 का अधिनियम' के रूप में उल्लिखित) अधिनियमित किया। इसका आशय दिव्यांगजनो को 'अपने भाग्य के संचालक' के रुप में परिवर्तित करना था।

5. 1995 के अधिनियम को अधिक व्यापक विधायन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, अर्थात् दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016। 2016 के अधिनियम की धारा 3 (3) दिव्यांगजनो के विरूद्ध किसी भी प्रकार के विभेद को रोकती है, जबकि धारा 3 (1) समुचित सरकार को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देती है कि दूसरों के समान, दिव्यांगजन भी समानता, गरिमामय जीवन और अपनी अखंडता के लिए सम्मान के अधिकार का उपभोग कर सकें। 2016 के अधिनियम में, अध्याय IV में नियोजन से संबंधित धारा 20 (1) में प्रावधान है कि कोई भी सरकारी स्थापन नियोजन से संबंधित किसी भी मामले में किसी भी दिव्यांगजन व्यक्ति के साथ विभेद नहीं करेगा, हालांकि, धारा 20 (1) का परंतुक समुचित सरकार को किसी स्थापन को धारा 20 (1) की प्रयोज्यता से छूट देने का अधिकार देता
है।

6. उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा जिस धारा 33 पर निर्भरता की गई, वह अध्याय VI में 'संदर्भित दिव्यांगजनो के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित है जैसे कि : 'संदर्भित दिव्यांगजन बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, आरक्षण के लिए पदों की पहचान और धारा 34 में प्रदान किए गए 'संदर्भित दिव्यांगजन व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षण। संदर्भ के लिए, 2016 के अधिनियम की धारा 3, 20, 33 और 34 को नीचे पुन: उल्लेखित किया गया है:

"3. ***समता और अविभेद*** *— **(1)** समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन व्यक्तियों के समान, समता और गरिमा के साथ जीवन के और उसकी सत्यनिष्ठा के लिए सम्मान का के अधिकार का उपभोग करे।*

(2) *समुचित सरकार समुचित वातावरण प्रदान करके दिव्यांगजनो की क्षमता का उपयोग करने के लिए उपाय करेगी।*

(3) *किसी दिव्यांगजन के साथ दिव्यांगता के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह दर्शित नहीं कर दिया जाता है कि आक्षेपित कार्य या लोप, एक विधिसंगत उद्देश्य को प्राप्त करने का एक आनुपातिक साधन है।*

(4) *कोई व्यक्ति केवल दिव्यांगजनता के आधार पर उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।*

(5) *समुचित सरकार दिव्यांगजनो के लिए युक्तियुक आवासन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी।*

20. नियोजन में विभेद न करना।*—(1) कोई भी सरकारी स्थापन नियोजन से संबंधित किसी भी मामले में किसी भी दिव्यांगजन व्यक्ति के साथ विभेद नहीं करेगा: परन्तु समुचित सरकार, किसी स्थापन में किए गए कार्य के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा और ऐसी निबंधनो के अधीन रहते हुए यदि कोई हो, इस धारा के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकेगी।*

(2) *प्रत्येक स्थापन दिव्यांगजन कर्मचारियों को युक्तियुक आवासन और उचित अवरोध मुक्त और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराएगा।*

(3) *केवल दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा।*

(4) *कोई सरकारी स्थापन, किसी ऐसे कर्मचारी को, जो अपनी सेवा के दौरान दिव्यांगता ग्रहण करता है उसे अभिमुक्त या उसकी रैंक में कमी नहीं करेगा:*

परंतु, यदि कोई कर्मचारी दिव्यांगता ग्रहण करने के बाद उस पद के लिए उपयुक्त नहीं है जो वह धारण कर रहा था, तो उसे समान वेतनमान और सेवा लाभ के साथ किसी अन्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा:

परन्तु यदि कर्मचारी को किसी पद पर समायोजित करना संभव नही हो, तो वह उपयुक्त पद उपलब्ध होने तक या अधिवर्षिता की आयु तक को भी पूर्ववर्ती हो किसी अधिसंख्या पद पर रखा जा सकेगा ।

(5)। *समुचित सरकार दिव्यांग कर्मचारियों की तैनाती और स्थानांतरण के लिए नीतियां बना सकेगी।*

33. आरक्षण के लिए पदों की पहचान।- *समुचित सरकार -*

(i) *स्थापन में ऐसे पदों की पहचान करेगी जो धारा 34 के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित रिक्तियों के संबंध में 'संदर्भित दिव्यांगजनो से संबंधित प्रवर्ग के व्यक्तियों द्वारा धारण किए जा सकता हैं;*

(ii) *ऐसे पदों की पहचान के लिए 'संदर्भित दिव्यांगजनो के प्रतिनिधित्व के साथ एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी*

(iii) *पहचाने गए पदों का तीन वर्ष से अधिक के अंतराल पर आवधिक पुनर्विलोकन करेगी।*

34. आरक्षण.—(1) *प्रत्येक समुचित सरकार प्रत्येक सरकारी स्थापन में नियुक्ति के लिए 'संदर्भित दिव्यांगजनो द्वारा भरे जाने के लिए आश्यित पदों के समूह से प्रवर्ग में कुल चार प्रतिशत 'संदर्भित दिव्यांगजनो के लिए आरक्षित करेगी— प्रत्येक खंड (क), (ख) और (ग) और एक प्रतिशत के अंतर्गत 'संदर्भित दिव्यांगजनो के लिए आरक्षित होगा। खंड (घ) और (ङ) के अधीन 'संदर्भित दिव्यांगजनो के लिए, अर्थात् :-*

(*क) अंध और निम्न दृष्टि,*

(ख) बधिर और श्रवणशक्ति में ह्वास;

(ग) चलन दिव्यांगता जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाव आक्रमण के पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण भी हैं;

(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रुग्णताः

खंड (क) से (घ) के अंतर्गत व्यक्तियों के बीच से एकाधिक दिव्यांगता, जिसमें प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पहचाने गए पदों में बधिर-अंधापन शामिल हैं:

परंतु पदोन्नति में आरक्षण ऐसे अनुदेशों के अनुसार होगा जो समय-समय पर समुचित सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं:

परन्तु समुचित सरकार, मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त के परामर्श से, जैसा भी मामला हो, किसी सरकारी स्थापन में किए गए कार्य के प्रकार को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा और ऐसी निबंधनो के अधीन रहते हुए यदि कोई हो, जो ऐसी

अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी सरकारी स्थापन को इस धारा के उपबंधों से छूट दे सकेगी।

(2) *जहां किसी भर्ती वर्ष में 'संदर्भित दिव्यांगता वाले उपयुक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारणों से कोई रिक्ति नहीं भरी जा सकती है, तो ऐसी रिक्ति को आगामी भर्ती वर्ष में आगे बढ़ाया जाएगा और यदि सफल भर्ती वर्ष में भी 'संदर्भित दिव्यांगता वाला उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो इसे पहले पांच श्रेणियों के बीच आदान-प्रदान द्वारा भरा जा सकता है और केवल तभी भरा जा सकता है जब कोई दिव्यांगजन उपलब्ध न हो। उस वर्ष के पद के लिए, नियोक्ता दिव्यांगजन के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा रिक्ति को भरेगा:*

परन्तु यदि किसी स्थापन में रिक्तियों की प्रकृति ऐसी है कि किसी दिए गए श्रेणी के व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जा सकता है, तो रिक्तियों को समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन से पांच श्रेणियों के बीच बदल दिया जा सकता है।

(3) *समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, 'संदर्भित दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के नियोजन के लिए ऊपरी आयु सीमा में ऐसी छूट प्रदान कर सकती है, जैसा कि वह युक्तियुक्त समझती है।*

7. 2016 के अधिनियम की योजना से यह देखा जा सकता है कि, अध्याय VI उन सकारात्मक कार्रवाई के उपायों का प्रावधान करता है, जिसे प्रत्येक उपयुक्त सरकार को समाज में दिव्यांगजनो के एकीकरण के लिए अपनाने और यह सुनिश्चि करने के लिए आवश्यक है कि वे आर्थिक रुप से स्वतंत्रता हो जाए ताकि दिव्यांगजन अपने व्यक्ति भाग्य के निर्माता बन जाए। 2016 के अधिनियम की धारा 20 (1) स्पष्ट शब्दों में यह प्रावधान करती है कि कोई भी सरकारी प्रतिष्ठान दिव्यांगजन व्यक्तियो के साथ रोजगार से संबंधित मामलों में विभेद नहीं करेगा। निस्सन्देह, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड धारा 2 (क) के अंतर्गत परिभाषित एक सरकारी प्रतिष्ठान है। समुचित सरकार द्वारा किसी प्रतिष्ठान को उनकी गतिविधियो की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए धारा 20(1) में निहित प्रतिबंधों से छूट दी जा सकती है।

8. वर्तमान मामले में, समुचित सरकार द्वारा धारा 20 (1) के परंतुक में कोई छूट नहीं दी गई है, इसलिए, याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को केवल इस आधार पर अस्वीकार करना कि वह शारीरिक दिव्यांगता से पीड़ित है, जो 2016 के अधिनियम की धारा 20 (1) से प्रभावित है, विधिक दृष्टि से अरक्षणीय है। प्रत्यर्थी का यह तर्क कि, चूंकि तकनीशियन ग्रेड-II (इलेक्ट्रिकल

) का पद धारा 33 (झ) के अंतर्गत दिव्यांगजनो के लिए उल्लिखित नहीं है, इसलिए, दिव्यांगजन व्यक्ति को एक गैर-उल्लिखित पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है, स्वीकार्य नहीं है। धारा 33 (झ) के अंतर्गत दी गई व्यवस्था का उद्देश्य उन पदों की पहचान करना है, जिन्हें 'संदर्भित दिव्यांगजनो के लिए आरक्षित किया जा सकता है। इसलिए, प्रत्यर्थीओं की ओर से उठाए गए तर्क को स्वीकार किया जा सकता था, यदि याचिकाकर्ता 'संदर्भित दिव्यांग व्यक्तियों वाले आरक्षण के लाभ का दावा कर रहा था।

9. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने आरक्षण के लाभ का दावा नहीं किया है और उसे अपनी योग्यता के आधार पर नियुक्ति के लिए चुना और अनुशंसित किया गया था, इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 द्वारा लिया गया तर्क कि याचिकाकर्ता को केवल 2016 के अधिनियम की धारा 33 (झ) के अंतर्गत पहचाने गए पद के विरूद्ध नियुक्त किया जा सकता है, अस्वीकार्य है। वास्तव में, इस प्रकृति का तर्क 2016 के अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत है, जिसमे सरकारी स्थापन में नियोजन के मामलों में दिव्यांगजनो को अवसर की समानता प्रदान की गई है। अत:, यह तर्क कि दिव्यांगजन व्यक्ति को केवल एक उल्लिखित पद पर नियुक्त किया जा सकता है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत उनके प्रत्याभूत अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड दिव्यांगजनो के साथ अन्य सक्षम व्यक्तियों की तुलना में भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहा है, जो विधि दृष्टि से अस्वीकार्य है।

10. उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की ओर से उपस्थित हुए अधिवक्ता से जब एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया कि क्या तकनीशियन ग्रेड-II (विद्युत) के पद पर लागू भर्ती नियमों में ऐसा कोई प्रावधान है जो नियोक्ता को किसी चयनित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को इस आधार पर अस्वीकार्य बनाता है कि वह किसी शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त है, तो इसका उत्तर नकारात्मक था। इसलिए, भर्ती नियमों में किसी भी सक्षम प्रावधान के अभाव में, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड का याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को इस आधार पर अस्वीकार्य करना कि विचाराधीन पद शारीरिक रूप से दिव्यांगजन (पीएच उप-श्रेणी) के लिए उल्लिखित

नहीं है, अन्यायपूर्ण और अवैध है। निस्संदेह, धारा 20(1) के परंतुक में समुचित सरकार द्वारा यथाविचार की गई छूट, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड को प्रदान नहीं की गई है।

11. मामले के ऐसे दृष्टिकोण में, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और आक्षेपित संचार (रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 5 के रूप में संलग्न) को उस सीमा तक रद्द कर दिया जाता है जहां तक यह याचिकाकर्ता से संबंधित है। प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने के दिनांक से चार सप्ताह की अवधि के भीतर, 2016 के अधिनियम की धारा 20 (1) में निहित प्रावधान के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर नियुक्ति के लिए पुनर्विचार करने का निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी)